न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री प्रिंयका तलानिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–113/2021

1. महकदीपकौर आयु 15 वर्ष (नाबालिग) पुत्री स्व. कुलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 61 जीबी तहसील अनूपगढ जरिये कुदरतीवली माता नवजीतकौर आयु 36 वर्ष पत्नी स्व. कुलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 61 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. नवजीतकौर आयु 36 वर्ष पत्नी स्व.कुलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 61 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

——— **वादीगण**

बनाम्

1. सरजीतकौर पत्नी गुरबख्शसिंह
2. सतपालसिंह पुत्र गुरबख्शसिंह
3. चमकौरसिंह पुत्र मानसिंह
4. प्रतापसिंह पुत्र इतवारसिंह
5. मानसिंह पुत्र इतवारसिंह

   अकवाम जटसिख सकनाऐ 61 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. स्टेट आफ राजस्थान बजरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————**प्रतिवादीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एंव</u>
<u>सपठित धारा 151 सीपीसी.</u>

उपस्थित–

1. श्री अनुप्रीत स्वामी एडवोकेट – वादीगण की ओर से
2. श्री दिनेश कुमार सैन – प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

<u>::निर्णयः:</u> **दिनांक–27.09.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी प्रकरण में चक 1 ए (बी) का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–249/462 का 1.757 हैक्टर मे से 1/3 हिस्सा के अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया गया है। प्रथम दृष्ट्या वादीगण के अभिकथन एवं प्रस्तुत किये गये [illegible] किये वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 के विधिक प्रावधानों के तहत निम्न आध[illegible] किये जाने योग्य है कि प्रस्तुत किये गये वाद पत्र में दर्ज [illegible] के वादीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लि[illegible] के प्रार्थना पत्र के तहत प्रस्तुत किया जिनका मुकदमा नं.–155/2013 एवं [illegible]/2013 है। उक्त वाद पत्र को वादीगण द्वारा दिनांक–15.06.2016 को राजीनामा [illegible]नुसरण मे निरस्त करवा लिया। आदेशिका दिनांक 15.06.2016 की फोटो प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पूर्व में इसी कृषि भूमि के संबंध में चाहे गये अनुतोष को वादीगण द्वारा वापिस लिए जाने के कारण हस्तगत वाद पत्र विधिक प्रावधानों के अनुकुल न होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र की मद सं. –05 मे दान पत्र का विवरण दर्ज किया है यह सही बात है कि दिनांक–04.10.2019 को उक्त कृषि भूमि का पंजीकृत दानपत्र निष्पादित हो चुका है जिसकी फोटो प्रति संलग्न की जा रही है दान पत्र को निष्प्रभावी करवाये जाने हेतु प्रकरण सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय है ऐसी स्थिति मे यह वाद पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त दोनो बिन्दूओं के दृष्टिगत वादीगण का यह वाद पत्र विधिक प्रावधानों के तहत विधि द्वारा वर्जित है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 ए (बी) का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–249/462 मे 1.757 हैक्टर में से 1/3 वादी के हिस्सा के अधिकारों की घोषणा के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। वादी द्वारा विधिक प्रावधानों एवं अपने विधिक अधिकारों के लिए नियमानुसार वाद पेश किया गया है। इस कारण वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी किसी खण्ड मे निरस्त किये जाने के योग्य नही होने के कारण शेष मद अस्वीकार है। पूर्व में अधिकारों की घोषणा में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र क्रमश 155/2013 एवं 104/2013 प्रस्तुत किया जाना एवं जरिये राजीनामा उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र को राजीनामा के आधार पर वाद का निस्तारण करना स्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक–15.06.2016 के राजीनामा के अनुसार वादी को उसका हिस्सा नही देने के कारण मौजूदा वाद वादीगण के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया गया है। वादीगण यह भी निवेदन करते है कि दिनांक–15.06.2016 को वाद का निस्तारण सम्पूर्ण विचारण के बाद नही किया गया था तथा मुताबिक राजीनामा मे प्रतिवादी के पक्ष के द्वारा वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम नही करवाई है। परिणामतः यह वाद विधिनुसार माननीय न्यायालय मे पेश किया गया है। माननीय न्यायालय को वाद मे दर्ज दस्तोवज वसीयतनामा दिनांक–04.10.2019 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादीगण के हितों के विपरीत होने के कारण प्रभावहीन तथा शून्य घोषित कर वादीगण को उसके 1/3 हिस्सा तक काश्तकार घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस कारण वादीगण को उक्त दस्तावेज दान पत्र दिनांक–04.10.2019 का सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता नही है। माननीय न्यायालय को ही इस मामले में संज्ञान लेने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं.–01 द्वारा उपरोक्त उप मद क तथा ख में यह स्पष्ट नही किया गया है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के किस उपनियम के तहत अपना आवेदन पेश किया गया है इस प्रार्थना पत्र मे उठाये गये दोनो बिन्दू विधि संगत नही होने के कारण अस्वीकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता को तमाम तथ्य लिखित में दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है। दौराने बहस अभिवचन से परे किसी भी प्रकार का कोई नया तथ्य अचम्भित करने के उदेश्य से अथवा पूर्व में ज्ञात होते हुए दर्ज न करवाने पर दौराने बहस निवेदन किये जाने से पूर्व न्यायालय की [illegible] आवश्यक है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या–01 ने [illegible] पत्र में यह स्पष्ट अंकित नही किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन किस [illegible] के लिए उपबन्ध द्वारा सह धारणीय है। प्रतिवादी सं.–01 द्वारा जवाब पेश करने [illegible] के लिए तथा वाद में विचारण को लम्बित करने के लिए तुच्छ आधारों पर आवेद[illegible]त्र पेश किया गया है जो मय हर्जाना अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वारा बहस में उठाये गये बिन्दुओं पर मनन किया गया । वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित दो बिन्दुओं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

Priyanka

आधार पर वाद को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है–

1. वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि के संबंध मे इसी प्रकरण के वादीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के तहत पूर्व में प्रस्तुत किया
2. पूर्व में इसी कृषि भूमि के संबंध में चाहे गये अनुतोष को वादीगण द्वारा वापिस लिए जाने के कारण हस्तगत वाद पत्र विधिक प्रावधानों के अनुकुल न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि में स्वयं का उक्त सम्पति में जन्म से ही हक व अधिकार निहित होना बताया है तथा वाद अपने अधिकारों की घोषणा के लिए पेश होना बताााया गया।

न्यायालय की राय में अप्रार्थी संख्या–01 ने जिन उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर वाद को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है, वाद वादीगण के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण की इस स्टेज पर उक्त तथ्यों का निर्णयन किया जाना कदापि न्यायसंगत नहीं है। फलतः प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नही होने के कारण वादीया का वाद पत्र किसी भी तरह से विधि द्वारा वर्जित नही है।

::आदेश::

अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक–27.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested